अपील सूचना अधिकार संख्या 44/2018(RCMS: 2018/00114) कृष्ण लाल पुत्र श्री रतीराम निवासी 1 पीपी, पो.ऑ., घमूडवाली तहसील पदमपुर बनाम उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.07.2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री कृष्णलाल स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं। अप्रार्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह अपील लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पदमपुर द्वारा दिनांक 21.03.2018 को दिये गये उत्तर की अप्रसन्नता से यह अपील पेश की है और इस अपील के साथ उसने अपने मूल शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.02.2018 और 21.03.2018 की प्रतियां भी पेश की है।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी कृष्णलाल ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 21.02.2018 को उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के समक्ष पेश किया था जिसमें उसने निम्न प्रार्थना की थी :

> प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अवैध निर्माणधीन टॉवार को रूकवाने का आदेश देवें और अगर श्रीमान् एसडीएम साहब को उचित लगे तो मौका मुआयना भी कर लेवें जिससे तथ्यों से उचित तरीके से अवगत हुआ जा सकेगा एवं अंतरिम आदेश पारित कर उक्त टावर को रूकवाने का आदेश करें क्योंकि अगर यथाशीघ्र कार्यवाही नही की जाती है तो टॉवर निर्मित होकर संचालित हो जावेगा।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इस पर प्रार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 21.03.2018 का लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करके निम्न प्रार्थना की है :

> आपका मूल पत्र 21.02.2018 (नकल नत्थी है) उप तहसीलदार, बींझबायला को आप द्वारा प्रेषित होते हुए बी.डी.ओ. पदमपुर को पहुंच पर की गई उक्त बी.डी.ओ. की कार्यवाही की सूचना आर.टी. आई. एक्ट 2005 अनुसार रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि प्रार्थी अपने पूर्व प्रार्थना पत्र दिनांक 21.02.2018 पर की गई कार्यवाही की सूचना चाहता है।

उपखण्ड अधिकारी पदमपुर द्वारा प्रार्थी को दिनांक 20.04.2018 उसके प्रार्थना पत्र दिनांक 21.02.2018 के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से सूचना प्रेषित की गई है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड प्रति इस पत्र के संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति रसीद भिजवाने का श्रम करें ।
>
> –ह.–
> उपखण्ड अधिकारी
> पदमपुर

शा.
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर

क्रमांक : मो.आवर/2018/   दिनांक :

आपत्ति सूचना

हर आम व खास को जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री अजय शर्मा, जनरल मैनेजर रिलायन्स जिओ इन्फो. कॉम. लिमि., जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चक घमूड़वाली के श्री बनवारीलाल पुत्र परमाराम निवासी घमूड़वाली के अहाता 40 इन्टु 50 फीट में एवं चक 1 पीपी के प्लॉट संख्या 55, 56 श्री करणीसिंह पुत्र दलीप सिह गांव 1 पीपी पोस्ट ऑफिस घमूड़वाली में टावर लगाने एवं निर्माण स्वीकृति चाही है। प्रकरण इस कार्यालय में विचाराधीन चल रहा है। प्रकरण में काय्रवाही पूर्ण होने तक रिलायन्स जिओ इन्फों. कॉम. लिमि., जयपुर को उक्त अहाता में फाउण्डेशन निर्माण करने की अस्थाई तौर पर स्वीकृति जारी गई थी। इस सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति हो तो आप अपना पक्ष आगामी तारीख पेशी 28.03.2018 तक इस कार्यालय में प्रस्तुत कर देवें अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

–ह0–
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर

(Signature)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।**

चूंकि अपीलार्थी द्वारा किसी निश्चित अभिलेख की प्रतिलिपि नहीं चाही गई है बल्कि उसके द्वारा अपने मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 21.02.2018 में टावर स्थापित न करने सम्बन्धी आदेश करने की प्रार्थना की थी जबकि सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी किसी परिवेदना का निस्तारण नहीं हो सकता। फिर भी उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर द्वारा उसकी परिवेदना के सम्बन्ध में पत्र क्रमांक 1359—69 दिनांक 21.03.2018 से जो कार्यवाही शुरू की गई है उसकी सूचना उसे जरिए पत्र क्रमांक 1972 दिनांक 20.04.2018 से दे दी गई है।

चूंकि सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी परिवेदना का निस्तारण नहीं किया जा सकता। इसलिए अपीलार्थी की अपील इस आधार पर खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को भिजवाई जावे। अपीलार्थी को भी निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो यह आदेश आज दिनांक 18.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर

श्रीगंगानगर